7717/28/1/19

संख्या : 55/8-3-19-160 विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2019**

विषय: उ0प्र0 इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा अर्द्ध0शा0प0सं0–1326/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 09.08.2018 के माध्यम से उ0प्र0 इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में अंगीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के प्रस्तर–3.11.9 के वर्तमान प्राविधानों में निम्नवत संशोधन किया जाता है :–

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तर	प्रस्तावित प्राविधान
3.11.9	सरकारी संस्थानों/ अर्द्धसरकारी संस्थानों/ सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/ सहायता प्राप्त संस्थान / प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स व अन्य भवनों में रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।	3.11.9(I)	उ.प्र. ई.सी.बी.सी. कोड, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) से आच्छादित भवनों या भवन परिसरों में भवनों की छतों पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल, जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल इनर्जी जेनरेशन जोन/सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
		3.11.9(II)	निम्न भवनों या भवन परिसरों में अधिसूचना संख्या–1198/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018, दिनांक 26.07.2018 के माध्यम से अधिसूचित यूपी ई.सी.बी.सी. कोड, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) की अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य होगा जिनका (अ) संयोजित विद्युत अधिभार 100 कि.वा. या उससे अधिक हो, अथवा (ब) कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड 120 के.वी.ए. या उससे अधिक हो, अथवा (स) भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्गमी. से

श्री अखिल तिवारी (S)
28/1/19

			अधिक एवं जिसके साथ निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर (तलघर छोड़कर) हो, निजी आवासीय भवनों में उक्त कोड लागू नहीं होगा। **स्पष्टीकरण**–ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले फलैट्स (आवासीय ईकाईयाँ) यदि निजी आवासीय प्रयोजन हेतु प्रयोग किये जाते हैं, तो इन भवनों पर यूपी ई.सी.बी.सी. कोड–2018 लागू नहीं होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत भवन का वह भाग जिसका उपयोग वाणिज्यिक (कामर्शियल) हो तथा वह भाग यूपी ई.सी.बी.सी. कोड–2018 के अनुच्छेद–2 में वर्णित कार्यक्षेत्र (संयोजित विद्युत भार 100 कि.वाट व अधिक अथवा कान्ट्रेक्ट डिमांड 120 केवीए या अधिक अथवा प्लाट क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक, जिसमें बेसमेंट छोड़कर न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो) से आच्छादित हो, पर यूपी ई.सी.बी.सी. कोड–2018 लागू होना प्राविधानित है।

कृपया उक्त के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्ध.शा.प.स.–1326 / 87–अति0ऊ0स्रो0वि0 / 2018 दिनांक 09.08.2018 के कम में।
2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन हेतु आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त संशोधन पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धित को भवन निर्माण एव विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) की प्रतियाँ उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

अनुस्मारक

स. 517/यूपीनेडा–ईसीबीसी–बिल्डिंग बाईलाज/2019–20
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
दिनांकः 06 मई, 2024

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुबारकपुर, आवास विकास कालोनी,
एनएच–58 मेरठ रोड़ जनसठ मुजफ्फरनगर,
उ0प्र0, पिन कोड–251201

विषयः–उत्तर प्रदेश इनर्जी कर्न्जेवेशन बिल्डिंग कोड (यूपीईसीबीसी) की अधिसूचना को प्राधिकरणों द्वारा भवन संहिता (बिल्डिंग बाईलाज) में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।

सचिव
रचना मनु नहीं
भेजी गयी
वही है
तत्काल
V.C
288
10/5/24

महोदय,

कृपया यूपीनेडा के पत्र संख्या 3509/यूपीनेडा–ईसीबीसी–बिल्डिंग बाईलाज/2019–20 दिनांक 26 सितम्बर 2022, पत्र संख्या 5364/यूपीनेडा–ईसीबीसी–बिल्डिंग बाईलाज/2019–20 दिनांक 22 दिसम्बर 2022 एवं पत्र संख्या 5232/यूपीनेडा–ईसीबीसी–बिल्डिंग बाईलाज/2019–20 दिनांक 03 जनवरी 2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं. 55/8–3–19–160 विविध/2018 दिनांक 28.01.2019 द्वारा यूपीईसीबीसी 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविविधि 2018 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में उक्त को अंगीकार किये जाने हेतु सूचित किया गया था। साथ ही प्राधिकरण द्वारा भवन संहिता (बिल्डिंग बाईलाज) में यूपीईसीबीसी की अधिसूचना को अंगीकृत करने के संदर्भ में की गयी कार्यवाही से अभिकरण को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में आपके द्वारा अभिकरण को अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि आपके विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही कर ली गई हो तो इस संदर्भ में कृत कार्यवाही से अभिकरण मुख्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता

सचिव
15/5/24

भवदीय

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक यूपीनेडा।

ATP
(EE)

Scanned with OKEN Scanner